पंजाब नेशनल बैंक

मंडल कार्यालय : दक्षिण दिल्ली, शाखा कार्यालय फाउन्टेन चौक, गुड़गांव

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

यत: अधोहस्ताक्षरकर्ता के पंजाब नेशनल बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 तथा सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांक को मांग नोटिस जारी किया है जिसमें मांग करते हुए सम्बन्धित ऋणीयों को उक्त नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के आगे वर्णित राशि का पुनर्भुगतान करने हेतु कहा गया था। ऋणी द्वारा राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणीयों एंव जनसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) व सपठित नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित दिनांक को निम्नलिखित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है। ऋणीयों/जनसाधारण को विशेष रूप से एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सावधान किया जाता है, कि इस सम्पत्ति के बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और सम्पत्ति में किया गया कोई भी व्यवहार पंजाब नेशनल बैंक की बकाया राशि तथा ब्याज के अध्यधीन होगा। सम्पत्तियों का विवरण जिसका कब्जा लिया गया था निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणी/सम्पत्ति मालिक/ जमानतदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक	बकाया राशि(धारा 13(2) के नोटिस के अन्तर्गत वर्णित)
1.	पंजाब नेशनल बैंक, फाउन्टेन चौक, गुड़गांव	मैसर्स स्मृति एपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड	1. मैसर्स स्मृति एपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड जरिये इसके प्रबन्ध निदेशक श्री इन्दर अरोड़ा बी-92, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 यहां भी : प्लॉट नं. 124, उद्योग विहार, फेज-I, गुड़गांव, यहां भी : प्लॉट नं. 852, उद्योग विहार, फेज-V, गुड़गांव, यहां भी : जे-301, लगून अपार्टमेन्ट, एम्बियंस आइलैण्ड, गुड़गांव	श्री इन्दर अरोड़ा और श्रीमती मीनू अरोड़ा के स्वामित्व में हाउस नं. 7, रोड़ नं. एल-28, डीएलएफ फेज-II, गुड़गांव क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर।	18.07.2017	30.12.2017	रू. 13,55,19,778.80/- दिनांक 31.12.2016 तक भविष्य के ब्याज के साथ
2.		श्री इन्दर अरोड़ा और श्रीमती मीनू अरोड़ा (हाउसिंग लोन)	इन्दर अरोड़ा और मीनू अरोड़ा (हाउसिंग लोन)निवासी जे-301, लगून अपार्टमेन्ट, एम्बियंस आइलैण्ड, गुड़गांव		17.01.2017		रू. 2,50,49,255/- दिनांक31.12.2016 तक भविष्य के ब्याज के साथ

दिनांक : 30.12.2017 स्थान : गुड़गांव

हस्ताक्षर श्री मलिन्दर सिंह मुख्य प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

विपत्तिग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, प्रथम तल, 23 नजफगढ़ रोड,
नई दिल्ली-110015 फोन : 25419177, 25412977 ई-मेल : sbi.05169@sbi.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

बैंक को प्रभारित अचल आस्तियों की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन

अधोहस्ताक्षरी ने भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का कब्जा सरफासी ऐक्ट की धारा 13(4) के अधीन प्राप्त कर लिया है। जन साधारण को सूचना दी जाती है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित मामलों में प्रभारित सम्पत्ति/यों की ई-नीलामी (सरफासी ऐक्ट 2002 के अधीन) **"जैसा है जहां है तथा जैसा है जोभी है आधार"** पर आयोजित की जाएगी।

कर्जदार(रो) का नाम	बकाया राशि जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति/यों की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति का वर्णन	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य (लाख रू.)
1. श्री श्याम कुमार गुप्ता पुत्र श्री एफ.सी. गुप्ता, मकान नंबर 812, सेक्टर-14, फरीदाबाद श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री श्याम कुमार गुप्ता मकान नंबर 705, सेक्टर-14, फरीदाबाद	16-02-2014 तक रू. 59,05,060.27 + उस पर भावी ब्याज, व्यय एवं लागत **मांग सूचना** : दिनांक 17-02-2014	प्लॉट नंबर 705, सेक्टर-14, फरीदाबाद, हरियाणा स्थित भूमि तथा आवासीय मकान का समस्त भाग। (क्षेत्रफल 500.00 वर्ग गज)	22-01-2018 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.30 बजे तक	**253.00**
2. श्री हर्षवर्धन रेड्डी	06-10-2016 तक रू. 2,16,30,215.00 + उस पर भावी ब्याज, व्यय एवं लागत **मांग सूचना** : दिनांक 06-10-20146	कार : MASERATI QUATTROPORTE 4.2, रजि. नंबर पीबी-11-बीएफ-0459	22-01-2018 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.30 बजे तक	**65.03**

धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (लाख रू.)	बोली वृद्धि राशि (लाख रू.)	प्रतिभागिता का अनुरोध पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी जमा करने तथा उसका प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय
सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत	रू. 25,000/-	20-01-2018 को अथवा पूर्व अप. 04.00 बजे तक

सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि एवं समय : 18-01-2018 पूर्वा. 11.30 बजे से अप. 03.30 बजे तक के बीच

ई-नीलामी समाप्त होने से पहले अंतिम 5 मिनट के भीतर कोई बोली आने पर समाप्ति का समय स्वत: 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :

1. नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद सम्पर्क नंबर : 079-40230833/832, सम्पर्क व्यक्ति : श्री कुशल कोठारी मोबाइल नंबर 8980690773 ई-मेल : delhi@auctiontiger.net, श्री नीतीश झा, मोबाइल नंबर 8800896847, फैक्स नंबर : 079-40230847 के माध्यम से वेबपोर्टल https://sbi.auctiontiger.net पर संचालित की जाएगी। ई-नीलामी निविदा दस्तावेज जिनमें ऑनलाइन ई-नीलामी बिड फार्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी के सामान्य नियम एवं शर्तें दिए गए हैं https://sbi.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं हैं। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति/यों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन, बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन निर्धारित नियमों/शर्तों पर की जाएगी।
4. इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से **खाता नंबर 32766721650, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी शाखा, नई दिल्ली, आईएफएससी कोड : SBIN0001181** में अथवा **"प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, नई दिल्ली"** के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर आहरित, नई दिल्ली में देय, पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी।
5. बोलीदाताओं का वैध ई-मेल आईडी धारक होना अनिवार्य है (इच्छुक बोलीदाता के लिए ई-मेल आईडी नितान्त अनिवार्य है क्योंकि मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) द्वारा समस्त संबंधित जानकारी तथा आईडी एवं पासवर्ड आबंटन की सूचना ई-मेल द्वारा दी जाएगी।
6. इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र के साथ ईएमडी जमा हेतु साक्ष्य जैसेकि यूटीआर नम्बर, (प) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) जैसेकि वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पासपोर्ट इत्यादि, (पप) पत्राचार हेतु वर्तमान पता -प्रमाण, (पपप) बोलीदाता का पैन कार्ड, (पअ) वैध ई-मेल, (अ) बोलीदाता का सम्पर्क नम्बर (मोबाइल/लैण्डलाइन) की प्रति प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 को 20.01.2018 तक अप. 04.00 बजे तक प्रस्तुत करनी चाहिए। इन मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी प्राधिकृत अधिकारी की ई-मेल आईडी sbi.05169@sbi.co.in पर भी प्रस्तुत की जा सकती हैं।

सम्पर्क नम्बर : आइटम नंबर 1 हेतु – श्री पी.के. गुप्ता मोबाइल 8826390880, श्री अभय कुमार मोबाइल 9491793384

आइटम नंबर 2 हेतु – सुश्री आर. गीता मोबाइल 9911826817, श्री एस.पी. आहूजा मोबाइल 9868215572

ई-नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट्स पर प्रकाशित की गई हैं :

https://sbi.auctiontiger.net, http://www.sbi.co.in, www.quikr.com, www.magichricks.com

सरफासी ऐक्ट, 2002 के अधीन बिक्री हेतु 15 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदार/गारंटरों को एतदद्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित चुकाने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई होंगी, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

तिथि : 05-01-2018, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लि.

(पूर्व में एक्विटास हाउसिंग फाइनांस लि. के नाम से विदित)
पंजीकृत कार्यालय: नं. 769, स्पेन्सर प्लाजा, 4था तल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, टीएन- 600 002, फोन: 044-42995000, 044-42995050

मांग सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न ऋणधारक/ कों ने एक्विटास हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (ईएचएफल)/ एक्विटास फाइनांस लिमिटेड (ईएफएल) से ऋण प्राप्त किया है। इसी बीच उसके आदेश तिथि 6.6.2016 के माध्यम से सीपी नं.: 2016 के 119 से 121 में मद्रास में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत समामेलन की योजना के अनुसार मै. एक्विटास हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड का मै. एक्विटास हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड में समामेलन हो गया। उक्त समामेलन के अनुसार एक्विटास हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड का संपूर्ण अधिकार एवं देयताएं एक्विटास हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड में निहित हो गया। आपको पुनः सूचित किया जाता है कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, चेन्नई द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अंतर्गत मै. एक्विटास फाइनांस लिमिटेड का नाम बदलकर मै. एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड हो गया तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड को लाइसेंस तिथि 30.6.2016 जारी किया। ऋणधारक अपने ऋण की इक्वेटेड मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे जिस कारण से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उनकी ऋण खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। ऋणधारक (कों) ने अचल सम्पत्ति/ यों की गिरवी रखी है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋणधारक द्वारा ईएसएफबी को देय ऋण तथा बकाया राशि, इस तिथि को, भी यहां नीचे दर्शाए गए हैं। एतद्द्वारा ऋणधारकों के साथ-साथ ही आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ईएसएफबी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न ऋणधारक (कों) के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्न ऋणधारक इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर उनके नाम के समक्ष वर्णित राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो अधोहस्ताक्षरी सम्पत्ति को कब्जे में लेने तथा उसकी बिक्री करने के अधिकार सहित सरफैसी अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा 4 के अंतर्गत प्रतिभूति क्रेडीटर को प्रदत्त किसी एक या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे। आम जनता को सलाह दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें।

ऋण अनुबंध सं./ ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (अचल सम्पत्तियों) का विवरण
SEBHOPL0034029 1) श्रीमती नाथी बाई 2) श्री हरि शंकर	29.11.2017 एवं रु. 2,34,803	बीना, पी.एच. नं. 51, खसरा नं. 43/117/1, तहसील बीना, जिला सागर, ग्राम पंचायत बड़ौदा की सीमाओं में स्थित मकान, माप 800 वर्ग फीट अर्थात 74.34 वर्ग मी.

स्थान: चेन्नई
तिथि: 5.1.2018

प्राधिकृत अधिकारी
एक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लि.

एमआरपीएल

ONGC एमआरपीएल MRPL

(ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी)
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
CIN : L23209KA1988GOI008959

एक कदम स्वच्छता की ओर

ई-सार्वजनिक निविदा सूचना

निविदा सं./ कार्य का नाम	निविदा अवधि
1. 3300005263: प्लांट के शटडाउन के दौरान मचान बांधना और वापस हटाने सम्बन्धी कार्य।	**निविदा दस्तावेजों की बिक्री** निविदा फार्म की बिक्री: 06.01.2018 से 05.02.2018 15.00 बजे **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 05.02.2018, 15.00 बजे तक** निविदा खुलने की तिथि : 05.02.2018, 15.30 बजे
2. 3300005280: शट डाउन के दौरान एमएक्सयू कॉलम डीए32901 और डीए32902 की ओवरहालिंग और मरम्मत।	**निविदा दस्तावेजों की बिक्री** निविदा फार्म की बिक्री: 05.01.2018 से 03.02.2018 15.00 बजे **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 03.02.2018, 15.00 बजे तक** निविदा खुलने की तिथि : 03.02.2018, 15.30 बजे
3. 3300005224: निविदा के अनुसार शट डाउन के दौरान एचसीयू I / II कॉलम को खोलकर सफाई करना।	**निविदा दस्तावेजों की बिक्री** निविदा फार्म की बिक्री: 06.01.2018 से 05.02.2018 15.00 बजे **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 05.02.2018, 15.00 बजे तक** निविदा खुलने की तिथि : 05.02.2018, 15.30 बजे
4. 3000012387: निविदा के अनुसार पीपी गोदाम के प्रचालन संबंधी कार्यों हेतु हेवी ड्यूटी लकड़ी पेल्लेट की आपूर्ति (आकार-1350 मिमी x 1130 मिमी x 150 मिमी) के लिए वार्षिक दर अनुबंध।	**निविदा दस्तावेजों की बिक्री** निविदा फार्म की बिक्री: 09.01.2018 से 08.02.2018 15.00 बजे **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 08.02.2018, 15.00 बजे तक** निविदा खुलने की तिथि : 08.02.2018, 15.30 बजे

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट: www.mrpl.co.in या www.tenderwizard.com के खुली निविदा लिंक को लॉगऑन करें। सभी संशोधन / जोड़ / शुद्धिपत्र समय विस्तार, स्पष्टीकरण आदि केवल उपर्युक्त वेबसाइट्स में अपलोड किए जाएंगे और समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। संभावित बोलीदाताओं को उपरोक्त वेबसाइट में अपलोड की गई नवीनतम जानकारी / निर्देशों से स्वयं को अद्यतन रखने और अपनी बोलियां जमा करने के लिए उपरोक्त वेबसाइटों की विजिट करनी चाहिए।

आईए, मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएं

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा

SBI
छठी मंजिल, मोहन सिंह प्लेस, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23741071, फैक्स: 011-23741076

नियम-8 (1) के अन्तर्गत सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) (दिनांक 20.12.2017 को लिया गया सांकेतिक कब्जा वापस ले लिया गया है और अब नया सांकेतिक कब्जा जारी किया जा रहा है।)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत **कर्जदार मैसर्स उमक एजुकेशनल ट्रस्ट (कर्जदार) श्री रमेश कपूर (गारंटर), श्रीमती उर्मिला कपूर (गारंटर) श्री नितिन कपूर (गारंटर), मैसर्स भदोही होटल लि., (कॉपोरेट गारंटर) और मैसर्स उमक इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि., (कॉरपोरेट गारंटर्स)** को एक **मांग सूचना दिनांक 06.09.2017** को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि **रु 77,00,18,012.83 (रु. सतहत्तर करोड़ अट्ठारह हजार बारह और पैसे तिरासी केवल) और साथ में संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चो, लागत, प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।**

कर्जदार और गारंटर्स उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित **संपत्ति का सांकेतिक कब्जा,** उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **30 दिसम्बर, 2017** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, नई दिल्ली द्वारा उल्लेखित राशि रु 77,00,18,012.83 (रु. सतहत्तर करोड़ अट्ठारह हजार बारह और पैसे तिरासी केवल) दिनांक 06.09.2017 तक और साथ में संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चो, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

कर्जदार(रों) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल / बंधक संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का मालिकाना हक मैसर्स उमक एजुकेशनल ट्रस्ट का है,

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका प्लॉट मुस्ततिल नं. 31 किला नं. 21/2(1-12)20/1(1-12)22 मिन पश्चिम (2-0) 19 मिन पश्चिम (2-0) 12 पश्चिम दक्षिण (1-0) 11/1(4-11) 10(8-0) मुस्ततिल नं. 33 किला नं. 1/1/2(1-7)2/1/1(0-10), क्षेत्रफल 7.8249 एकड़, दस्तावेज नं. 829, दिनांकित 21.05.2010 और जिल्द नं. 1924, बुक नं. 1, पेज 61 से 62 सब रजिस्ट्रार सोहना, गुडगाँव (हरियाणा) में पंजीकृत, गाँव गढ़ी बाजीदपुर, तहसील सोहना, जिला गुरूग्राम (हरियाणा) में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – अन्य खेतीहर भूमि, पश्चिम में – अन्य खेतीहर भूमि, उत्तर में – अन्य खेतीहर भूमि, दक्षिण में – गाँव गढ़ी बाजीदपुर को जोड़ने वाली लिंक रोड

दिनांक : 30-12-2017, स्थान : गुरूग्राम

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग
मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण-1 के समक्ष
छ ठा तल, सिन्धिया हाउस, एन.एम.मार्ग, बैलार्ड पिअर, मुम्बई-400038
फोन नं. 200-22612283
रिकवरी अधिकारी के समक्ष
रिकवरी प्रॉसीडिंग नं. 2012 का 33

प्रपत्र सं. 53
(विनियमन 60 (15)

Exh No. 26
अगली तिथि: 6.2.2018

देना बैंक : प्रमाणपत्र धारक

बनाम

मै. बुल्स बैट्रीज (इंडिया) लि. एवं अन्य : **प्रमाणपत्र डेब्टर**

बिकी उद्घोषणा के सेटल करने के लिये सूचना

1. **मै. बुल्स बैट्रीज (इंडिया) लि.**
   5-ए, वीणा इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑफ न्यू लिंक रोड, अंधेरी (डबलू), मुम्बई-400053
2. **श्री गुरप्रीत सिंह,**
   2रा तल, 21 न्यू राजिन्द्रा, नगर, नई दिल्ली-110060
3. **श्री ए.पी.टी. सायी**
   पुत्र श्री ए. अयोध्या राम एच/207, ट्रैपोर गार्डन्स, सीएचएस, ऑफ न्यू लिंक रोड, अंधेरी (डबलू), मुम्बई-400053, महाराष्ट्र
4. **सुश्री नीना सिंह**
   2रा तल, 21 न्यू राजिन्द्रा नगर, नई दिल्ली-110060
5. **श्रीमती देवेन्द्र देवी**
   2रा तल, 21 न्यू राजिन्द्रा नगर, नई दिल्ली-110060

जैसा कि माननीय पीठासीन अधिकारी ने आप पर बकाया 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 28,27,134.18 (रुपये अटठ्राईस लाख सत्ताईस हजार एक सौ चौंतीस तथा पैसे अठारह मात्र) की राशि का आवेदक बैंक को भुगतान करने के लिये ओ.ए.नं. 2010 के 103 में रिकवरी प्रमाणपत्र जारी किया है।

जैसा कि आपने इस राशि का भुगतान नहीं किया है तथा अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति को एटैच कर उसकी बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बिक्री उद्घोषणा तैयार करने तथा उसकी शर्तों को निर्धारित करने के लिये 6 फरवरी, 2018 की तिथि निर्धारित की गई है। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उद्घोषणा की शर्तों का निर्धारण करने तथा अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में उस सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग से जुड़ी अधिभारों, प्रभारों, दावे अथवा देयताओं को लाने के लिये उसमें शामिल हों।

सम्पत्ति का विनिर्देशन

प्लॉट नं. आर 9/41, माप 950 वर्ग याई्स, सेक्टर-9, राज नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.), उस पर निर्मित या निर्मित होने वाली स्ट्रक्चर/भवन तथा उस पर फर्नीचर, फिक्चर्स एवं फिटिंग्स के साथ (प्रतिवादी सं. 5 के स्वामित्व की।)

मेरे हाथ से तथा इस अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 28 दिसम्बर, 2017 को मुम्बई में दी गई।

हस्ता. 28.12.2017
(ज्योति आर.शर्मा)
रिकवरी अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण I
मुम्बई

न्यायालय की मुहर

मुहर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जनवरी।

उड़ते विमान में पायलट और महिला पायलट में झगड़े का मुद्दा उठा

लंदन से मुंबई आ रहे एक विमान में पायलट और महिला सह-पायलट के बीच कथित झगड़े के कारण उसमें यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाले जाने का मुद्दा गुरुवार को लोकसभा में उठा और सरकार ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए भाजपा के किरीट सोमैया ने कहा कि एक जनवरी को लंदन से मुंबई की जेट एअरवेज की एक उड़ान में पायलट और महिला-सह पायलट के बीच झगड़ा हुआ और एक समय दोनों ही कॉकपिट के बाहर भी आ गए। उन्होंने कहा कि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक दोनों पति-पत्नी हैं।

सोमैया ने कहा कि उस समय विमान में चालक दल के सदस्यों के अलावा 324 यात्री उड़ान भर रहे थे और दोनों पायलटों ने सबकी जान को खतरे में डाला। उन्होंने कहा कि जेट एअरवेज ने इस घटना पर दिए बयान में कहा कि यह गलतफहमी की वजह से हुआ। भाजपा सांसद ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा।

कब्जा सह नीलामी बिक्री सूचना

डीसीबी बैंक

वित्तीय परिसम्पत्ति तथा सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 का लागू के सुरक्षाकरण तथा पुनः निर्माण अन्तर्गत बैंक हेतु शुल्क अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

एतद्द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण तथा ऋणप्राप्तकर्ता एवं विशेष में प्रत्याभूतिदाताओं हेतु सूचना प्रदान की जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लि. दिल्ली हेतु रेहन प्रस्तुत सम्पत्ति का वित्तीय परिसम्पत्ति के सुरक्षाकरण तथा पुनः निर्माण तथा सुरक्षा अधिनियम, 2002 का लागू के प्रावधान अन्तर्गत तिथि **29.12.2017** के अन्तर्गत अधिकार ग्रहण सम्पत्ति निम्नलिखित देयकों की वसूली हेतु निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी तथा आगे ब्याज, शुल्क तथा लागत इत्यादि जैसा कि निम्नलिखित विवरण अनुसार है तथा सम्पत्ति जैसा है तथा जहाँ है तथा बिना किसी आश्रय आधार में बिक्री की जाएगी यह सूचना अंकित तिथि में नीलामी-सह-बिक्री के आयोजन कार्य के विषय में उपरोक्त कथित ऋण के प्रत्याभूतिदाता तथा ऋण प्राप्तकर्ता हेतु एक सूचना भी है यदि उनकी शेष बकाया देयक राशियों पूर्ण रूप में पुनः नहीं चुकाई गई हैः

ऋणप्राप्तकर्ता तथा प्रत्याभूतिदाताओं का नामः जसबीर माथुर तथा ऋतिका माथुर

रेहन प्रस्तुत तथा गिरवी कार्य सम्पत्ति का विवरणः फ्लैट नं. ए-1/11, प्रथम तल, राजस्थली अपार्टमेण्ट, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

सुरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि जमा	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि तथा समय	नीलामी की तिथि तथा समय
रु. 90,00,000/- (रु. नब्बे लाख मात्र)	रु. 9,00,000/- (रु. नौ लाख मात्र) (सुरक्षित मूल्य की 10% राशि	तिथि 01.02.2018 प्रातः 11:30 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक	तिथि 07.02.2018 दोपहरः 12:30 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक

शेष बकाया राशिः रु. 95,25,455/- (रु. पंचानवे लाख पच्चीस हजार चार सौ पचपन मात्र) तिथि 29.12.2017 के अनुसार

प्रस्ताव कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त कथित सम्पत्ति के क्रय हेतु इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं से मुहरबन्द आवरण में **डीसीबी बैंक लि. दिल्ली के पक्ष में धरोहर राशि** हेतु मांग देय प्रपत्र के साथ कार्यालय डीसीबी बैंक लि. 7/56, तृतीय मंजिल, देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 में **तिथि 06.02.2018 में अप. 4:00 बजे अथवा पूर्व** प्रेषित कर सकते है तथा मुहरबन्द प्रस्ताव नीलामी की तिथि **07.02.2018 में अप. 12.30** बजे खोले जाएंगे तथा धरोहर राशि बिना ब्याज राशि के बिना वापिस योग्य है यदि बोली सफलता पूर्ण नहीं है तथा इच्छुक क्रेतागण उपरोक्त अंकित तिथि तक सम्पत्ति/परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते है तथा जिसके हेतु वह सम्पर्क कर सकते है **श्री श्यामसुन्दर चण्डोक** या **श्री मयंक दत्त चौधरी** (011) 66186387/88 धरोहर राशि बिना प्रस्ताव संक्षिप्त रूप में निरस्त कर लिए जाएंगे तथा कार्यालय अधोहस्ताक्षरी हेतु इसका बिना कोई कारण निरूपित किए बिक्री को भंग/अगली तिथि तक स्थगित अथवा समस्त प्रस्तावों को स्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु अधिकार सुरक्षित है तथा यदि प्रस्ताव है क्रेता हेतु 25% राशि धरोहर राशि शीघ्रता से बिक्री मूल्य की राशि शामिल करके जमा करना होगा तथा यदि वह उक्त की जमा राशि जमा करने हेतु असफल है धरोहर राशि हेतु जमा राशि जब्त हो जाएगी तथा सम्पत्ति आगे पुनः बिक्री की जाएगी तथा क्रय मूल्य की शेष राशि बिक्री की प्रमाणिकता की तिथि से 15 दिन में अथवा पूर्व भुगतान करना होगा तथा उल्लेखित अवधि के अन्दर-अन्दर भुगतान में असफल रहने के मामले में धरोहर राशि हेतु जमा राशि जब्त हो जाएगी तथा सम्पत्ति पुनः बिक्री की जाएगी तथा कोई अन्य वैधानिक देयक/कर/टिकट शुल्क/पंजीकरण शुल्क/हस्तांतरण कार्य शुल्क है पृथक रूप से क्रेता द्वारा वहन करना होगा।

SARFAESI अधिनियम, 2002 अन्तर्गत बिक्री सूचना के वैधानिक 30 दिवस

एतद्द्वारा ऋणप्राप्तकर्ता/प्रत्याभूतिदाता हेतु एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ई-मेल नीलामी की तिथि से पूर्व सहायक तथा अधिनस्थ व्यय शामिल करके उपरोक्त अंकित अनुसार राशि का भुगतान कीजिए तथा जिसमें असफल रहने में सम्पत्ति नीलाम की जाएगी तथा शेष देयक, यदि कोई है, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल किए जाएंगे।

हस्ताक्षर
तिथिः 05.01.2018
अधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली
डीसीबी बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय
78-ए. तम्बेश्वर नगर,
जी.टी. रोड, फतेहपुर-212601

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बकायेदार द्वारा बैंक से लिये गये ऋण का मूलधन तथा ब्याज अदा नहीं किया गया है। अतः लिया गया ऋण दिनांक **30.06.2017 को एन.पी.ए.** में वर्गीकृत हो गया है। सेक्योरटाइजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सेक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत उनके ज्ञात पते पर नोटिस भेजा गया था जो वापस आ गया है। अतः इन सभी को इस सार्वजनिक सूचना द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि आप बकाया धनराशि मय ब्याज एवं अन्य व्यय जैसा कि इस सूचना में उल्लेखित है, सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिनों के अन्दर अदा करें। अन्यथा बैंक उपर्युक्त एक्ट की धारा 13(4) का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बकायेदार का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि धारा 13 की उपधारा (8) की अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रतिभूति सम्पत्ति छुड़वाने के लिए उपलब्ध समय के सम्बन्ध में है, के प्रकाशन उपरान्त सार्वजनिक नीलामी/आमंत्रित निविदा/टेण्डर/निजी संधि जो आपकी प्रतिभूति सम्पत्ति छुड़वाने के लिए आपका अधिकार समाप्त हो जायेगा।

बकायेदार/जमानतकर्ता का नाम व पता	प्रतिभूति समझौता के साथ प्रतिभूति का संक्षिप्त विवरण	डिमांड नोटिस में बकाया धनराशि
शाखा : बिन्दकी		
ऋणी :- **श्रीमती दुर्गा गुप्ता** पत्नी रजनी कान्त गुप्ता निवासी बैलाही बाज़ार, कस्बा तहसील-बिन्दकी, जिला- **फतेहपुर।** जमानतकर्ता :- 1. **श्री रामेश्वर दयाल उर्फ दयालु** पुत्र स्व0 राम कृष्ण ओमर निवासी बैलाही बाज़ार, बिन्दकी, जिला- **फतेहपुर।** 2. **श्री महेन्द्र सिंह परिहार** पुत्र राजेन्द्र पाल सिंह निवासी मीरखपुर बिन्दकी, जिला- **फतेहपुर।** 3. **श्री केशव दयाल** पुत्र राम कृष्ण ओमर निवासी बैलाही बाज़ार, बिन्दकी, जिला- **फतेहपुर।** 4. **श्री रजनी कान्त गुप्ता** पुत्र राम कृष्ण ओमर निवासी बैलाही बाज़ार, बिन्दकी, जिला- **फतेहपुर।** 5. **श्रीममती राम प्यारी** पत्नी राम कृष्ण ओमर निवासी बैलाही बाज़ार, बिन्दकी, जिला- **फतेहपुर।** **डिमांड नोटिस तिथि 06.12.2017**	**सम्पत्ति सं0-I** – मकान सं0 1432 स्थित मोहल्ला-बैलाही बाजार बिन्दकी, **फतेहपुर क्षेत्रफल 78.40 वर्ग मी0,** जो कि **राम प्यारी** के नाम पर है। **चौहद्दी : पूर्व**-शहर उसके बाद बैलाही रोड, **पश्चिम**-राम कुमार गुप्ता का मकान, **उत्तर**-संतोष एवं विजय का खण्डहर, **दक्षिण**-संतोष कुमार का खण्डहर। **सम्पत्ति सं0-II** – मकान सं0 1373 स्थित बाज़ार (कृष्णागंज), कस्बा तहसील बिन्दकी जिला-**फतेहपुर, कुल क्षेत्रफल 121 वर्ग मी0,** जो कि **श्री महेन्द्र सिंह एवं रामेश्वर दयाल दर्फ दयालु गुप्ता** के नाम पर है। **चौहद्दी : पूर्व**-निकास बाद आम रास्ता उसके बाद आबादी, **पश्चिम**-गली उसके बाद शिव शंकर शुक्ला एवं वेद प्रकाश ओमर तथा अन्य, **उत्तर**-अतुल शुक्ला पुत्र स्व0 जगत नारायण शुक्ला का मकान, **दक्षिण**-निकास एवं सहन उसके बाद नाली फिर उसके बाद सी0सी0 रोड एन.पी. कृष्ण मार्ग। **सम्पत्ति सं0-III** – मकान सं0 1408 स्थित मोहल्ला-कोहना, परगना-बिन्दकी, तहसील-बिन्दकी, जिला-**फतेहपुर क्षेत्रफल 455 वर्ग मी0,** जो कि **श्री केशव दयाल एवं रजनी कान्त** के नाम पर है। **चौहद्दी : पूर्व**-नाली उसके बाद महरहा रोड, **पश्चिम**-विक्रेता की शेष भूमि, **उत्तर**-जीत सिंह का मकान, **दक्षिण**-रास्ता उसके बाद विक्रेता की भूमि।	दिनांक 05.12.2017 को **₹ 26,15,852.80** + ब्याज एवं अन्य देय, खर्चे

दिनांक : 05.01.2018 **स्थान : बिन्दकी** **प्राधिकृत अधिकारी**

जे.के. कॉटन लिमिटेड

CIN: U17111UP1924PLC000275
पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर नगर-208001 उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष : +91 5122371478 - 81 फैक्स : +91512-2332665
ई-मेल : harshit@jkcotton.com वेबसाइट : www.jkcotton.com

पोस्टल बैलेट परिणाम

कम्पनी अधिनियम की धारा 110 के प्रावधानों व उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसरण में, पोस्टल बैलेट की सूचना दिनांक 13 नवम्बर, 2017 में निर्दिष्ट प्रस्तावित संकल्पों के लिए कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति पोस्टल बैलेट द्वारा, ई-वोटिंग सहित मतदान के माध्यम से देने के लिए मांगी गई थी ।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संवीक्षक मेसर्स एस के गुप्ता एण्ड कं0, कंपनी सचिवों के श्री एस के गुप्ता (FCS No. 2589, C.P.1920) की रिपोर्ट दिनांक 02 जनवरी, 2018 के आधार पर पोस्टल बैलेट का परिणाम 03 जनवरी, 2018 को 6:00 बजे घोषित किया गया, जो कि इस प्रकार है :

क्रं0	संकल्प का प्रकार	संकल्प का विवरण	पक्ष में डाले गए कुल वोट		विपक्ष में डाले गए कुल वोट	
			शेयर्स की सं0	डाले गए वोटों का प्रतिशत	शेयर्स की सं0	डाले गए वोटों का प्रतिशत
	साधारण संकल्प	यदु इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन करने के लिए अनुमोदन	96,96,466	100.00	NIL	NIL
	साधारण संकल्प	कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी में वृद्धि करने के लिए अनुमोदन	96,96,466	100.00	NIL	NIL
	विशेष संकल्प	कंपनी के संगम ज्ञापन के पूंजी खंड में परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन	96,96,466	100.00	NIL	NIL
	विशेष संकल्प	प्रति 100₹ के 43,66,000 6% गैर-परिवर्तनीय गैर-संचयी रिडीमेबल प्रिफरेन्स शेयर्स जारी करने के लिए अनुमोदन	96,96,466	100.00	NIL	NIL
	विशेष संकल्प	प्लान्ट और मशीनरी जो कि लगभग पूरे टेक्सटाइल उपक्रम बराबर है की बिक्री करने के लिए अनुमोदन	96,96,466	100.00	NIL	NIL

अतः पूर्वोक्त मामले के संबंध में संकल्प अपेक्षित बहुमत के साथ शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया है. संवीक्षक की रिपोर्ट व पोस्टल बैलेट के नतीजों से संबंधित अन्य जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.jkcotton.com और CDSL की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है ।

बोर्ड के आदेश से
हस्ताक्षर
(हर्षित गुनानी)
कम्पनी सचिव

स्थान : कानपुर
दिनांक : 3 जनवरी 2018

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

इरकॉन IRCON
(भारत सरकार का उपक्रम)
वेबसाइट : www.ircon.org CIN-U45203DL1976GOI008171

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सं.: इरकॉन/इलेक्ट/जेएंडके-सेल/जेएटी/15/1014/टी-77/आर 1 **तिथि:** 5.1.2018

ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूल्ला नए बीजी रेलवे लाइन परियोजना के धरम-काजीगुण्ड खंड के निर्माण (पैकेजः टी-77 आर 1) के सिलसिले में टनेल टी-77 (टी-77ए, टी-77-बी, टी-77सी, टी-77डी एवं टी-78 संयुक्त 2.971 कि.मी.) (कि.मी. 142 एवं 152 के बीच) के विस्तृत डिजायन परामर्श (टनेल वेन्टिलेशन एवं सेफ्टी इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्यों) तथा संबंधित कार्यों के लिए वांछित योग्यता पूरा करने वाले बोलीदाताओं से दो चरण की बोली प्रणाली में ई-निविदा आमंत्रित है।

कार्य की अनुमानित लागत	रु. 25.44 लाख
धरोहर राशि भुगतान की मात्रा	रु. 51,000/-
पूर्णता अवधि	09 माह
निविदा दस्तावेज का मूल्य	रु. 6,000/-
बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	29.1.2018 के 15.00 बजे (IST)

अधिक विवरणों के लिए वेबसाईटः **http://www.tenderwizard.com/IRCON** देखें। संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल वेबसाईट पर ही प्रकाशित की जाएगी।

कार्यकारी निदेशक/जेएंडके
पताः यूएसबीआरएल परियोजना कार्यालय, जम्मू,
सम्पर्कः डीजीएम/ई, मो. 8878615688, जम्मू कार्यालयः 0191-2484842

'बैंक की नौकरी से चलने वाले घरों में रिश्ता करने से परहेज करें'

लखनऊ, 4 जनवरी (भाषा)।

देश के प्रमुख इस्लामी शिक्षण संस्थान दारूल उलूम देवबंद ने अपने एक फतवे में बैंक की नौकरी से चलने वाले घरों से शादी का रिश्ता जोड़ने से परहेज करने को कहा है।

> -इस्लामी कानून या शरीयत में ब्याज वसूली के लिए रकम देना और लेना शुरू से ही हराम माना जाता रहा है। इसके अलावा इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक हराम समझे जाने वाले कारोबारों में निवेश को भी गलत माना जाता है

दारूल उलूम के फतवा विभाग 'दारूल इफ्ता' ने बुधवार को यह फतवा एक व्यक्ति द्वारा पूछे गए सवाल पर दिया है। उस शख्स ने पूछा था कि उसकी शादी के लिए कुछ ऐसे घरों से रिश्ते आए हैं, जहां लड़की के पिता बैंक में नौकरी करते हैं। चूंकि बैंकिंग तंत्र पूरी तरह से सूद (ब्याज) पर आधारित है, जो कि इस्लाम में हराम है। इस स्थिति में क्या ऐसे घर में शादी करना इस्लामी नजरिये से दुरुस्त होगा? इस पर दिए गए फतवे में कहा गया कि ऐसे परिवार में शादी से परहेज किया जाए। हराम दौलत से पले-बढ़े लोग आमतौर पर सहज प्रवृत्ति और नैतिक रूप से अच्छे नहीं होते। लिहाजा, ऐसे घरों में रिश्ते से परहेज करना चाहिए। बेहतर है कि किसी पवित्र परिवार में रिश्ता ढूंढ़ा जाए।

इस्लामी कानून या शरीयत में ब्याज वसूली के लिए रकम देना और लेना शुरू से ही हराम माना जाता रहा है। इसके अलावा इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक हराम समझे जाने वाले कारोबारों में निवेश को भी गलत माना जाता है। इस्लाम के मुताबिक धन का अपना कोई स्वाभाविक मूल्य नहीं होता, इसलिए उसे लाभ के लिए रहन पर दिया या लिया नहीं जा सकता।

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार को बताया सुरक्षित

नई दिल्ली, 4 जनवरी (भाषा)।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अज्ञात लोगों द्वारा 500 रुपए में आधार की पूरी जानकारी मुहैया कराने की रिपोर्ट को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि उसकी प्रणाली सुरक्षित है और इसके किसी भी दुरुपयोग का पता लगाया जा सकता है। उसने कहा कि उसके पास हर गतिविधि की पूरी जानकारी होती है।

प्राधिकरण ने कहा कि आधार की कोई जानकारी लीक नहीं हुई है। उसने दावा किया कि जैविक जानकारियों समेत आधार के डेटा पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्राधिकरण का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब मीडिया रिपोर्टों में वाट्सऐप के जरिए महज 500 रुपए में आधार की जानकारी मुहैया कराने का खुलासा किया गया था। उसने कहा कि लोगों की मदद के लिए चुनिंदा कर्मचारियों व राज्यों के अधिकारियों को ही आधार नंबर की मदद से जानकारी खोजने की सुविधा दी गई है।

बिजनौर में दलित प्रेमी युगल के शव बरामद

बिजनौर, 4 जनवरी (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिला मुख्यालय से लगभग 65 किमी दूर नैनीताल मार्ग पर बसे कस्बे शेरकोट के खो बैराज में नदी से प्रेमी युगल के शव बरामद किए गए हैं। शेरकोट पुलिस थाने के प्रभारी शिशुपाल शर्मा ने बताया कि दोनों की पहचान शहजादपुर गांव के पंकज (23) और शिवानी (20) के तौर पर हुई है। दोनों दलित हैं और 31 दिसंबर से लापता थे।

उन्होंने बताया कि बुधवार देर शाम खो बैराज पर पुल के नीचे दो शव बहते देखे जाने की जानकारी मिलने के बाद शवों को बाहर निकाला गया। दोनों के हाथ दुपट्टे से बंधे थे। पुलिस ने बताया कि पंकज के खिलाफ शिवानी को भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन उनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे। पुलिस के अनुसार यह झूठी शान के लिए की गई हत्या का मामला हो सकता है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED

बी एच ई एल BHEL
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

पीपीएक्स-एफएण्डएचई, हीप, बीएचईएल, रानीपुर, हरिद्वार-249403
फोन: 01334-281478, फैक्स: 01334-226462, ई-मेल: harjesh@bhel.in
निविदा (एनआईटी) संख्या - F/T237/2017/4719/K/1 (36406)

निम्नलिखित सामग्री के लिए मूल निर्माताओं से दो भागों में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

सामग्री का विवरण	माप	मात्रा
Titanium Clad Plate (Spec: AA14001, Rev: 01)	46 x 3676 x 5556 (TK x W x L)	16 Nos.
Titanium Clad Test Plate (Spec: AA14001, Rev: 01)	46 x 300 x 300 (TK x W x L)	16 Nos.

डाउनलोड की अंतिम तिथि: 21.01.18, खुलने की तिथि: 22.01.18

विस्तृत सूचना एवं निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट **www.bhel.com/www.bhelhwr.co.in/www.tenders.gov.in** देखें। संशोधन, स्पष्टीकरण या शुद्धि पत्र यदि होगा, तो केवल वेबसाइट पर ही दिया जाएगा। **नोटः** बीएचईएल के लिए आवश्यक वस्तुओं हेतु पंजीकरण प्रक्रिया **https://supplier.bhel.in** पर हमेशा खुली हुई है। भावी आपूर्तिकर्ता (एमएसई और एससी/एसटी स्वामित्व सहित) इस वेबसाइट पर जाकर सम्बंधित इकाई में पंजीकरण करा सकते हैं।

वरि. अभियंता (पीपीएक्स-एफएण्डएचई)